

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक : 189/25

दिनांक 27.9.25

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री दितर पुत्र/पुत्री/पति गोपाल न प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बारां पटवार मण्डल बारां तहसील छबड़ा

जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 71,72 में खातेदार/गैरखातेदार का

नाम/जाति दितरलाल/गोपाल अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से

दितरलाल के गोपाल अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी

से करवाने पर पटवारी ने दितर/गोपाल के बजाय दितरलाल/गोपाल

करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में दितर पुत्र गोपाल

के बजाय दितरलाल पुत्र गोपाल करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956

एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अमिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत

ग्राम बारां के खाता संख्या 71,72 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति दितर/गोपाल

चमार के स्थान पर सम्मानजनक रूप से दितरलाल/गोपाल दर्ज करने का

आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां